



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

खीरी पुलिस की सक्रियता एवं तत्परता के चलते गिरफ्तार हुए तेलंगाना के वांछित अपराधी





प्रेस नोट

सराहनीय कार्य: जनपद खीरी (दिनांक 09.10.20)

खीरी पुलिस की सक्रियता एवं तत्परता के चलते गिरफ्तार हुए तेलंगाना के वांछित अपराधी

दिनांक 05.10.20 को तेलंगाना राज्य के जनपद साईबराबाद के थाना रायदुर्गम क्षेत्रान्तर्गत सेरीलिंगम पल्ली में एक डकैती की घटना हुई जिसमें संबंधित थाने पर मु0अ0सं0 600/20 धारा 395/397/307/452/342 भादवि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में, तेलंगाना पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तलाश में जनपद खीरी आकर खीरी पुलिस से सहायता प्राप्त कर 03 अभियुक्तों को दिनांक 09.10.20 को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से डकैती में लूटे गए **05 लाख 20 हजार रू0 नकद और आभूषण इत्यादि बरामद** किए गए। आज दिनांक 09.10.20 को तेलंगाना पुलिस द्वारा उपरोक्त गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगणों को जनपद न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमाण्ड में वापस तेलंगाना राज्य लेकर जाया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस द्वारा, उनके वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तत्परता से की गई त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. विनोद शाही पुत्र कमल निवासी तातापानी वार्ड नं0 03 थाना सुरखे जनपद सुरखे नेपाल राष्ट्र
2. नरजिंग शाही उर्फ नरेश पुत्र प्रेम शाही निवासी ग्राम लालू थाना खेलालू जनपद कैलाली नेपाल राष्ट्र
3. सीता पुत्री वीरू निवासी सुरकेश सिन्दुर थाना सुरकेश जनपद सुरकेश नेपाल राष्ट्र

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 लाख 20 हजार रू0 नकद
2. चांदी की 01 पत्ती, वजन करीब 20 ग्राम
3. चांदी के 04 सिक्के
4. चांदी की मूर्ति, वजन करीब 10 ग्राम
5. सोने की 02 अंगूठी, वजन करीब 10 ग्राम
6. सोने की 01 चेन, वजन करीब 10 ग्राम
7. गोल्ड डायमंड चेन, वजन करीब 15 ग्राम
8. डायमंड मंगलसूत्र, वजन करीब 10 ग्राम
9. लॉकेट, वजन करीब 20 ग्राम
10. सोने की 04 कान रिंग, वजन करीब 10 ग्राम
11. काली मूंगे की सोने की चेन, वजन करीब 05 ग्राम

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी में जनपद खीरी के निम्नलिखित पुलिसकर्मियों का सराहनीय योगदान रहा-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना खीरी फतेह बहादुर सिंह,
2. उ0नि0 दिलीप कुमार प्रजापति (थाना खीरी)
3. का0 शराफत (क्राइम ब्रांच)

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



दिनांक 28.09.20 को वादी श्री रमेश कुमार यादव पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम भंगहा मझरा पूरब थाना तिकुनिया खीरी की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली तिकुनियाँ में मु0अ0सं0 230/20 धारा 380 भा0दं0वि0 बनाम जियाउद्दीन व दो चोर अज्ञात द्वारा घर में घुसकर घर के अन्दर से दो मोबाइल फोन व बैग में रखे 22000 रुपये चुरा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था । तथादिनांक 01.09.20 को वादी श्री सुमित कुमार प्रजापति पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम बरसोला कला थाना तिकुनिया खीरीकी लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली तिकुनियाँ में मु0अ0सं0 214/20 धारा 457/380 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात दो चोरों द्वारा दीवार फांद कर घर के अन्दर से सोने व चाँदी के जेवर व रूपये चुरा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था दिनांक 08.10.20 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी को निकट पर्यवेक्षण में कोतवाली तिकुनियाँ पुलिस द्वारा दौरान रात्रि गस्त उपरोक्त मुकदमें में 01नफर चोर तौकीर उर्फ मिर्ची पुत्र हबीब उम्र करीब26 वर्ष निवासी पठाननपुरवा थाना निघासन जन0 खीरीको मय चोरी किये गये मोबाइल फोन व जेवरात की बरामदगी के साथ समय रात्रि करीब 19:00 बजे खमरिया से तिकुनिया मार्गसे गिरफ्तार किया गया था जिससे मु0अ0सं0 230/20 धारा 380,411 IPC में अभियुक्त उपरोक्त सेटच फोन व मु0अ0सं0 214/020 धारा 457/380/411 ipc में अभियुक्त उपरोक्त से सोने व चाँदी के जेवरात माल मसरूका बरामद किया गया एवं उपरोक्त अभियुक्तकोपुलिस हिरासत में मान0 न्यायायल के समक्ष रिमाण्डा हेतु सदर खीरी भेजा गया ।

अभियुक्त का नाम व पता –

तौकीर उर्फ मिर्ची पुत्र हबीब उम्र करीब26 वर्ष निवासी पठाननपुरवा थाना निघासन जन0 खीरी ।

बरामद किया गया सामान –

1. मु0अ0सं0 230/20 से संबंधित - एक अदद Realme कम्पनी का टच फोन
2. मु0अ0सं0 214/20 से संबंधित 03 पैन्डिल का सोने की एक माला, 01 जोडी चाँदी की पायल।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार यादव- कोतवाली तिकुनियाँ जपनद खीरी ।
2. उ0नि0 महताब सिंह
3. का0 प्रशान्त तेवतिया
4. का0 राजकुमार
5. म0का0 शिवानी

थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



प्रेस विज्ञप्ति थाना भीरा जनपद खीरी

थाना भीरा की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 455/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट से संबंधित 01 नफर अभि० महमूद अली उर्फ हाफिज पुत्र बन्दे अली निवासी ग्राम मरिजद के पास बिजुआ थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये गये अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के परिवेक्षण में दि० 09.10.2020 उ० नि० सुरेश चन्द्र मय हमराही का० अरविन्द कुमार शवत व का० अखण्ड मिश्रा थाना भीरा देखभाल क्षेत्र व रोकथान जुर्म जरायम तलाश वाछिंत -वारण्टी के दौरान ग्राम मनगीत नगर स्कूंस के पास इमलिया रोड में मामूर थे तभी जरिये मुखविर खास सूचना के आधार पर बहद ग्राम ग्राम मनगीत नगर स्कूंस के पास इमलिया रोड में अभि० महमूद उर्फ हाफिज के पास से 01 अदद नजायज तमन्वा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है गिरफ्तार अभि० के विरुद्ध नियमानुर मु०अ०सं० 455/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी अभियुक्त को मा०न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया जा रहा है।

नाम पता अभि०-

1. महमूद अली उर्फ हाफिज पुत्र बन्दे अली निवासी ग्राम मरिजद के पास बिजुआ थाना भीरा जनपद खीरी

अपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 455/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी

पुलिस टीम:-

1. श्री उ० नि० सुरेश चन्द्र
2. का० अरविन्द कुमार शवत
3. का० अखण्ड मिश्रा

थाना निघासन पुलिस द्वारा 300 अदद नशीली टैबलेट अल्प्राजोलम सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति व वांछित/वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियान के तहत आज दिनांक 09.10.2020 को थाना निघासन पुलिस द्वारा पठाननपुरवा डन्डूरी तिराहा ढखेरवा पढुवा रोड से अभियुक्त पद्दी उर्फ इन्तियाज पुत्र फैजनोर निवासी ग्राम पठाननपुरवा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी जामा तलाशी से 300 अदद नशीली टैबलेट ALPRAZALAM IP 0.5 mg ALPRASAF कंपनी की बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना निघासन पर अभियोग अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत हैं।

पद्दी उर्फ इन्तियाज का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 423/2014 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
2. मु०अ०सं० 391/2014 धारा 457/380/411 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
3. मु०अ०सं० 332/2014 धारा 457/380/411 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
4. मु०अ०सं० 829/2014 धारा 401 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
5. मु०अ०सं० 710/2014 धारा 380/411 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
6. मु०अ०सं० 250/2015 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी
7. मु०अ०सं० 258/2015 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना निघासन खीरी
8. मु०अ०सं० 256/2015 धारा यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना निघासन खीरी
9. मु०अ०सं० 330/2015 धारा 41/411/414 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी

पुलिस पार्टी वितरण-

1. उ०नि० धर्मदास सिद्धार्थ(चौकी प्रभारी पढुवा)
2. का० कैलाश कुमार
3. का० जैनेन्द्र यादव
4. का० मोहित कुमार

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा पाँक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट के मुकदमें में वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09/10/2020 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0 अ0 सं0- 503/17 धारा 354(ख), 506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST एक्ट के वारंटी अभियुक्त छोटके उर्फ छोटेलाल पुत्र जय जय राम निवासी ग्राम मगदापुर थाना मोहम्मदी खीरी हाल पता ग्राम खड़सरा थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 91 बीयर केन के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, निर्माण व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियुक्त राजीव गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता नि० कस्बा व थाना सिंगाही खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 91 अदद बीयर केन बिना लाइसेंस बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 388/20 धारा 420 भादवि० व 60/63 आब० अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों 1. हिमांशु तिवारी पुत्र स्व० छोटेलाल निवासी मो० श्यामनगर थाना को० सदर खीरी 2. शिन्धा पुत्र कन्हैयालाल निवासी चिमनी थाना खीरी 3. नसीर पुत्र नानू निवासी घोसियाना थाना खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1000 रु० नकद व 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 531/20 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना मितौली खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 1. समसेर पुत्र लाले 2. सोनू अली पुत्र वाजिद अली निवासीगण कस्बा व थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1210 रु0 नकद व 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 380/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सट्टा खेलते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सट्टा खेल रहे फरीद अहमद पुत्र शाकिर अहमद निवासी हाथीपुर उत्तरी थाना को0 सदर खीरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 1170 रु0 व 05 सट्टा पर्ची व 01 पेन बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1121/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानो द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित वांछित/वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 691/20 धारा 498A/304B भादवि0 व ¾ डी0पी0 एकट में वांछित चल रही अभियुक्त श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्रीपाल निवासी सरवापुर थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
2. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 477/19 धारा 302 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र भिखारी निवासी गुलरीपुरवा थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
3. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 425/19 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त मुस्ताक खां पुत्र सरदार खां निवासी दाउपुर थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
4. थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 496/20 धारा 354/506 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त आमोद पुत्र रामासरे निवासी पिपरी अजीज थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना को0 सदर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार